सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

(2022-2023)

सत्रहवीं लोक सभा

100

एक सौवां प्रतिवेदन

[कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन ओडिशा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड (ओएआईसी), भुवनेश्वर के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब]

(21.12.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

दिसंबर, 2022/ अग्रहायण, 1944 (शक)

विषय सूची

		पृष्ठ सं.
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23) की संरचना		**(iii)**
प्राक्कथन		(v)
प्रतिवेदन		
कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन ओडिशा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड (ओएआईसी), भुवनेश्वर के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब		**1**
	परिशिष्ट	
परिशिष्ट - एक	ओडिशा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड (ओएआईसी), भुवनेश्वर के वर्ष 1997-1998 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की तिथियों को दर्शाने वाला विवरण।	**15**
परिशिष्ट - दो	ओडिशा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड (ओएआईसी), भुवनेश्वर के वर्ष 2011-2012 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने से संबंधित कालक्रमानुसार विवरण।	**16**
परिशिष्ट - तीन	सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-22) की 07.02.2022 को हुई छठी बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण।	**21**
परिशिष्ट - चार	सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23) की 15.12.2022 को हुई पहली बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण	**24**

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति, लोक सभा की संरचना

(2022-23)

श्री गिरीश चन्द्र - सभापति

सदस्य

2. श्री शफीकुर्रहमान बर्क
3. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
4. श्री पल्लब लोचन दास
5. श्री चौधरी मोहन जटुआ
6. चौधरी महबूब अली कैसर
7. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
8. श्री भरत राम मारगनी
9. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
10. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
11. श्री टी.एन. प्रथापन
12. श्री सेल्लापेरुमल रामलिंगम
13. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
14. श्री देवेन्द्रप्पा वाई
15. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1. श्री विनय कुमार मोहन - संयुक्त सचिव
2. श्री नवल वर्मा - निदेशक
3. श्री उत्तम चंद भारद्वाज - अपर निदेशक

प्राक्कथन

मैं, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23) का सभापति, समिति द्वारा उनकी ओर से इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन ओडिशा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड (ओएआईसी), भुवनेश्वर के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब से संबंधित समिति का यह एक सौवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के 08 मार्च, 1976 को सभा में प्रस्तुत किए गए पहले प्रतिवेदन (5वीं लोक सभा) और समिति के 12 मई, 1976 को प्रस्तुत किए गए दूसरे प्रतिवेदन (5वीं लोक सभा) तथा समिति के 22 दिसम्बर, 1977 को प्रस्तुत किए गए दूसरे प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) में की गई सिफ़ारिशों के अनुसार, सभी सांविधिक/स्वायत्त संस्थानों, कंपनियों, सरकारी उपक्रमों, निगमों, संयुक्त उद्यमों, सोसाइटियों, आदि के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर अर्थात 31 दिसंबर तक सभा पटल पर रखा जाना अपेक्षित है।

3. समिति द्वारा की गई संवीक्षा से पता चला कि ओडिशा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड (ओएआईसी), भुवनेश्वर के वर्ष 2012-13 से 2019-20 के दस्तावेज निरंतर विलंब के साथ लोक सभा में प्रस्तुत किए गए थे, और वर्ष 2020-2021 के दस्तावेजों को वर्ष 2022 के मानसून सत्र की समाप्ति तक सभा पटल पर नहीं रखा गया था। समिति ने ओडिशा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड (ओएआईसी), भुवनेश्वर के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के मामले पर विचार किया और 07 फरवरी, 2022 को हुई अपनी बैठक में कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया।

4. समिति ने 15.12.2022 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

5. समिति, ओडिशा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड (ओएआईसी), भुवनेश्वर और कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों को समिति के समक्ष लिखित उत्तर और अन्य सामग्री/जानकारी प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देती है।

6. समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता के लिए समिति उनकी सराहना करती है।

7. समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के अंत में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली

15 दिसंबर, 2022
24 अग्रहायण, 1944 (शक)

गिरीश चन्द्र
सभापति,
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति
लोक सभा

<u>सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-2023)</u>

<u>प्रतिवेदन</u>

कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीओए एंड एफडब्ल्यू), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (एमओए एंड एफडब्ल्यू) के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत ओडिशा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएआईसी), भुवनेश्वर के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब।

समिति को दिए गए लिखित उत्तर **(पृष्ठ 3, अंतिम पैरा)** के अनुसार ओडिशा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड (ओएआईसी) का गठन वर्ष 1962 में तत्कालीन उड़ीसा लघु उद्योग निगम में किया गया था। तत्पश्चात्, उक्त उत्तर के अनुसार, ओएआईसी को 1 अप्रैल, 1974 से उड़ीसा लघु उद्योग निगम से अलग कर दिया गया। कृषि यंत्रीकरण करने और हरित क्रांति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के साथ एक संयुक्त उद्यम के रूप में देश में राज्य कृषि उद्योग निगम की परिकल्पना की गई थी। तथापि, संगठन की वेबसाइट (www.orissaagro.com/about.html) से यह पाया गया कि ओएआईसीएल को केन्द्र सरकार और ओडिशा सरकार की इक्विटी भागीदारी के साथ एक सरकारी कंपनी के रूप में 17-12-1968 को निगमित किया गया था।

निगम की प्राधिकृत शेयर कैपिटल 40.00 करोड़ रुपये है। 31 मार्च, 2021 को निगम की प्रदत्त पूंजी 39.85 करोड़ रुपये है और इसमें से राज्य सरकार का हिस्सा 38.80 करोड़ रुपये है। प्रदत्त पूंजी में केंद्र सरकार का हिस्सा 1.05 करोड़ रुपये है, यानी कुल इक्विटी शेयरधारिता का 2.64% है।

<u>अधिदेश</u>

कृषि यंत्रीकरण, आदानों और लिफ्ट सिंचाई के संबंध में राज्य के कृषक समुदाय के लिए ओडिशा सरकार के कृषि विभाग की विभिन्न राजसहायता प्राप्त योजनाओं का निष्पादन करना है।

मिशन

वाणिज्यिक स्थिरता के साथ कृषि क्षेत्र में सेल्स सर्विस और रोजगार सृजन, वैज्ञानिक आधुनिक कृषि उपकरणों व साधनों के साथ खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता और अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन के पश्चात् परिसंपत्ति का सृजन सुनिश्चित करना है।

विजन

मंत्रालय के उत्तर के अनुसार **[पेज 4 बिंदु बी (बी)]** ओएआईसी का गठन राज्य के सभी किसानों को निगम के माध्यम से सरकार द्वारा दिए गए लाभों का उपयोग करके अपने खाद्यान्न उत्पादन को अधिकतम करने और निगम के सभी हितधारकों का विश्वास हासिल करने में सक्षम बनाने के लिए किया गया था।

उद्देश्य:-

[एक] उन्नत कृषि उपकरणों और मशीनरी को बढ़ावा देना और उन्हें बेचना।

[दो] जैव उर्वरक/जैविक खाद, मवेशी और कुक्कुट पालन फ़ीड्स को बढ़ावा देना और विकसित करना।

[तीन] कृषि क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए किसानों को प्रशिक्षित और शिक्षित करना।

[चार] विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को विकसित करना और उनकी सहायता करना और राज्य एवं राष्ट्र की आर्थिक स्थिति के संवर्धन और विकास के लिए राज्य व केंद्र सरकार के निर्देशों को लागू करना।

[पांच] कृषि क्षेत्र में राज्य/केन्द्र सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, कार्यान्वित करना और उनका कार्यान्वयन करना।

[छह] कुएं खोदकर, शैलों ट्यूब वेल, बोर वेल लगाकर और रिवर लिफ्ट परियोजना शुरू कर सर्फेस वाटर और सब-सर्फेस वाटर का उपयोग करते हुए कृषि भूमि को सिंचाई मुहैया कराना।

[सात] राज्य कृषि नीति में यथा परिकल्पित राज्य सरकार के कार्यक्रमों को लागू करना।; और

[आठ] किसानों को उनके खेतों में आधुनिक उपकरणों के उपयोग के लिए प्रशिक्षित और शिक्षित करना, प्रदर्शनी, कृषि मेला और किसानों की बैठक के माध्यम से सरकार की विभिन्न रियायती योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ उठाना।

2. समिति ने मंत्रालय से उस अधिनियम, नियम या विनियमन का उल्लेख करने के लिए कहा जिसके अंतर्गत ओएआईसी, भुवनेश्वर के कागजात सभा पटल पर रखे जा रहे हैं। मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में प्रस्तुत किया है कि:

"कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394(1) के अंतर्गत ओएआईसी लिमिटेड, भुवनेश्वर को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखने के लिए अपने वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखे भारत सरकार को प्रस्तुत करना अपेक्षित है।"

3. समिति ने मंत्रालय से यह भी बताने के लिए कहा कि ओएआईसी के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को सदन के पटल पर रखने के प्रावधान और समय क्या हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि:-

"वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से 9 महीनों के भीतर लेखा परीक्षित वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की समय-सीमा अगले वित्तीय वर्ष के 31 दिसंबर के भीतर है।"

4. भारत सरकार द्वारा ओएआईसी को वित्त पोषण के पैटर्न के प्रश्न के संबंध में, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि:-

"*ओएआईसी को वित्त पोषण का पैटर्न विशुद्ध रूप भारत सरकार द्वारा निगम के 39,85,43,900.00 रुपये के इक्विटी के कुल भुगतान में से प्रत्येक 100.00 रुपये के मूल्य के 1,05,272 शेयरों की इक्विटी पूंजी के भुगतान के माध्यम से 1,05,27,200.00 रुपये है। इस प्रकार,*

भारत सरकार के पास कुल इक्विटी शेयरधारिता का 2.64% है। भारत सरकार से कोई अनुदान, राजसहायता, ऋण, इसके दिन-प्रतिदिन के वितपोषण के लिए प्रदान नहीं किया जाता है।...."

5. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की 08 मार्च, 1976 को सभा में प्रस्तुत पहले प्रतिवेदन (5वीं लोक सभा); 12 मई, 1976 को सभा में प्रस्तुत दूसरे प्रतिवेदन (5वीं लोक सभा) और 22 दिसम्बर, 1977 को सभा में प्रस्तुत किए गए दूसरे प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों में संगठनों/निगमों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर सभा पटल पर रखना अपेक्षित है। इस अनिवार्यता का अनुपालन करने के लिए, वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखाओं के संकलन और उनकी लेखा परीक्षा के लिए एक उचित समय-सारणी निर्धारित की जानी चाहिए। समिति ने महसूस किया कि आम तौर पर वार्षिक लेखाओं के संकलन और उन्हें लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए तीन महीने की अवधि पर्याप्त होगी; अगले छह महीने लेखाओं की लेखा परीक्षा, प्रतिवेदन की छपाई और इसे सभा पटल पर रखने के लिए सरकार को भेजने के लिए दिए जा सकते हैं। यदि किसी कारणवश संगठनों/निगमों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभापटल पर नहीं रखा जा सका तो संबंधित मंत्रालय को उपर्युक्त अवधि की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर अथवा सभा की बैठक होते ही, जो भी बाद में हो, एक विवरण सभा पटल पर रखना चाहिए जिसमें उन कारणों को स्पष्ट किया जाए कि दस्तावेज क्यों नहीं रखे जा सके।

6. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति,लोकसभा ने ओडिशा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड (ओएआईसी), भुवनेश्वर के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं की जांच की, जिन्हें कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (एमओए एंड एफडब्ल्यू) द्वारा संसद (लोकसभा) के समक्ष रखा गया था। इन पत्रों की जांच से पता चला कि 2012-13 के लिए ओएआईसी के अपेक्षित दस्तावेज 11 महीने से अधिक की देरी से सदन के सभापटल पर रखे गए थे। इसके बाद भी संबंधित वर्षों अर्थात 2013-2014,

2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 और 2019-2020 के लिए अपेक्षित दस्तावेज बार-बार विलंब के साथ सभापटल पर रखे गए।

इसके अलावा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने सदन के समक्ष वर्ष 2020-2021* के ओएआईसी के अपेक्षित दस्तावेज आज तक सभा पटल पर नहीं रखे हैं। ओएआईसी के वार्षिक प्रतिवेदन/लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की वास्तविक तारीखों के साथ-साथ विलंब की सीमा को दर्शाने वाला विवरण **परिशिष्ट-एक** में दिया गया है।

7. समिति ने पिछले दस वर्षों से 2020-2021 तक ओएआईसी के वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को जानना चाहा, तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

> *"ओएआईसी लिमिटेड के वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप देने में हुआ विलंब, हाल के वर्षों में लेखा कार्मिकों की बड़े पैमाने पर सेवानिवृत्ति के कारण हुआ था। संगठन को वर्ष 2015-16 से टैली ईआरपी-9 में लेखा डेटा के पूर्ण कंप्यूटरीकरण के साथ सीए फर्मों के माध्यम से कार्य को आउटसोर्स करना था। हालांकि, वित्त वर्ष 2018-19 के बैक-लॉग को अब मंजूरी दे दी गई है और अद्यतन किया गया है। वर्ष 2017-18 और 2018-19 के वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षित लेखाओं को मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है और संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखा जा चुका है। वर्ष 2019-20 के वार्षिक लेखाओं को 28.12.2021 को निदेशक मंडल द्वारा अंतिम रूप दिया गया है और प्रमाणित किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सांविधिक लेखापरीक्षा और सीएजी लेखापरीक्षा के पूरा होने के बाद, वार्षिक प्रतिवेदन 2019-20 को मार्च 2022 के दौरान कंपनी की एजीएम में स्वीकृत किया जाएगा और संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखने के लिए भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।"*

** 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेख 13.12.2022 को लोकसभा के समक्ष रखे गए हैं।*

8. समिति ने मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षित लेखाओं आदि को अंतिम रूप देने के लिए सामान्य समय-सीमा और पिछले दस वर्षों (अर्थात 2020 तक) के दौरान प्रत्येक चरण में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ओएआईसी द्वारा लिए गए वास्तविक समय के संबंध में जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए कहा, तो उत्तर में, मंत्रालय ने विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई, जो **<u>परिशिष्ट-दो</u>** में दी गई है।

9. समिति द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय /ओएआईसी ने उन चरणों की पहचान की है जिनमें इन वर्षों के दौरान विलंब हुआ है और यदि हाँ, तो मंत्रालय इस विलम्ब को कैसे कम करेगा, तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

"ओडिशा सरकार ने वर्ष 2015-16 से निगम की वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के कारणों की पहचान की है, । अब वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप देने में सीए फर्मों को कार्य सौंपने और सभी संभार तंत्र सहायता के साथ प्रगति की करीबी से निगरानी की जाती है। वार्षिक ले खा 2019-20 को निदेशक मंडल द्वारा 28.12.2021 को प्रमाणित किया गया है और 17.01.2022 को प्रमाणन के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को सौंप दिया गया है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए दिन-प्रतिदिन के लेखाओं के डेटा जैसे बिक्री, खरीद, धन प्राप्ति आदि को एनआईसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से डिजिटाइज़ किया गया है। इच्छुक सीए फर्मों को संकलन कार्य सौंपा गया है। 2020-21 के लिए आंतरिक ऑडिट प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। इसलिएसभी प्रयासों के साथ ओएआईसी ने प्रतिबद्ध किया है कि वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 को अंतिम रूप दिया जाएगा और 30.06.2022 तक बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा ताकि संसद के दोनों सदनों में आगे रखा जा सके।

यंत्रीकरण और प्रौद्योगिकी प्रभाग, कृषि और किसान कल्याण विभाग नियमित रूप से सभी एसएआईसी(राज्य कृषि उद्योग निगम) को पत्र और अनुस्मारक भेजता है। लंबित मामलों को कम करने और भारत सरकार के हिस्से के विनिवेश के लिए प्रस्ताव भेजने के लिए अपर सचिव और संयुक्त सचिव के स्तर पर बैठकें आयोजित की गई थीं।"

10. समिति ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ओएआईसी से यह जानना चाहा कि क्या उन्होंने लेखाओं की लेखापरीक्षा करने और अंतत: लेखापरीक्षा अधिकारियों से अंतिम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और ओएआईसी से संबंधित दस्तावेजों की समय पर प्राप्ति हेतु कोई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की थीi कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

"संगठन द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन/लेखापरीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप देने में शामिल प्रत्येक चरण के कार्य को पूरा करने के लिए 9 महीने की अवधि की समय-सारणी निर्धारित की गई है जिसमें निम्नलिखित प्रक्रिया शामिल है:

(एक) एसएआईसी के आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा प्रस्तुत वार्षिक लेखा।
(दो) एसएआईसी के निदेशक मंडल द्वारा अपनाया गया।
(तीन) एसएआईसी के सांविधिक लेखापरीक्षकों को प्रस्तुत किया गया।
(चार) एसएआईसी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित प्रतिवेदन।
(पांच) एसएआईसी का प्रतिवेदन भारत के सीजीए को भेजा गया ।
(छह) भारत के सीजीए द्वारा प्रमाणित एसएआईसी का प्रतिवेदन ।
(सात) एसएआईसी की वार्षिक आम बैठक द्वारा अपनाया गया।
(नौ) माननीय केन्द्रीय राज्य मंत्री द्वारा दस्तावेजों का प्रमाणीकरण।
(दस) समीक्षा विवरण और विलंब विवरण सहित वार्षिक प्रतिवेदन संसद के दोनों सदनों के पटल पर रख दिया गया।

यंत्रीकरण और प्रौद्योगिकी प्रभाग, कृषि और किसान कल्याण विभाग, सभी एसएआईसी को नियमित रूप से पत्र और अनुस्मारक भेजता है और संयुक्त सचिव और अतिरिक्त सचिव के स्तर पर समीक्षा बैठकें भी आयोजित करता है।"

11. समिति ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से पूछा की कि क्या उन्होंने दस्तावेजों आदि का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की बैठक बुलाने से जुड़ी किसी प्रक्रियात्मक कठिनाई का सामना करना पड़ा था। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

"ओडिशा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित नियमों और प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए ओएआईसी, भुवनेश्वर की बोर्ड/वार्षिक आम बैठक आयोजित करने में कुछ अपरिहार्य विलंब का सामना करना पड़ा।"

12. समिति ने लेखाओं के त्वरित और समय पर संकलन की सुविधा के लिए लेखांकन की प्रक्रिया के डिजिटलीकरण और कम्प्यूटरीकरण की स्थिति के बारे में भी पूछा की। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया है कि:-

"जिला और प्रधान कार्यालय दोनों लेनदेन के मासिक और वार्षिक लेखाओं के डेटा को पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत/डिजिटाइज़ किया गया है।वित्तीय विवरण टैली सॉफ्टवेयर में तैयार किए जा रहे हैं। बिक्री, खरीद के अलावा, बैंक लेनदेन को एनआईसी के साथ सॉफ्टवेयर समर्थन के साथ डिजिटल किया जा रहा है।"

13. समिति ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से पूछा कि क्या ओएआईसी के पास वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखाओं का समय पर संकलन सुनिश्चित करने के लिए और सीएंडएजी के लेखांकन के समय लेखापरीक्षा प्रश्नों को कम करने के लिए कोई आंतरिक लेखापरीक्षा सम्बन्धी तंत्र है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया है कि:-

"जी हाँ, एक आंतरिक लेखापरीक्षा विंग प्रधान कार्यालय में कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त, नियमित लेखापरीक्षा के लिए जिला और लेखाओं की प्रधान कार्यालय लेखापरीक्षा के लिए सीए फर्मों को नियुक्त किया गया है।"

14. समिति ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से यह भी पूछा कि क्या ओएआईसी के दस्तावेजों को समय पर रखना सुनिश्चित करने हेतु इस संबंध में काम की प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय में कोई आंतरिक तंत्र है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया है कि:-

"जी हां, कृषि और किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार के तहत, यंत्रीकरण और प्रौद्योगिकी प्रभाग नियमित पत्राचार और वेबिनार बैठकों के माध्यम से प्रगति की निगरानी कर रहा है।"

15. समिति ने मंत्रालय से कहा कि वह दस्तावेजों को निर्धारित अवधि के भीतर संसद के समक्ष रखा जाना सुनिश्चित करने हेतु कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ओएआईसी दोनों के द्वारा किए जाने वाले उपचारात्मक उपायों के संबंध में एक नोट प्रस्तुत करे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

"जी हां, ओएआईसी लिमिटेड ने बाधाओं के बावजूद वार्षिक रिपोर्टों/लेखा परीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप देने के लिए एक कार्य योजना निम्नानुसार तैयार की है:

वित्त वर्ष 2019-20	*जून, 2022 तक*
वित्त वर्ष 2020-21	*सितंबर, 2022 तक*

मंत्रालय स्तर पर, वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखाओं को प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार/संगठन के कार्यकारी प्रमुख को उपयुक्त प्राधिकारी से नियमित अंतराल पर अनुस्मारक जारी किए जाते हैं ताकि दस्तावेजों को संसद में रखने के लिए विभाग को समय पर प्रस्तुत किया जा सके। अपर सचिव और संयुक्त सचिव (एमएंडटी) की अध्यक्षता में नियमित अंतराल पर वेबिनार के माध्यम से एसएआईसी के साथ समीक्षा बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं। इस कार्रवाई के कारण लंबित मामलों में कमी आई है।"

16. समिति ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से ओएआईसी की वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप देने के संबंध में नवीनतम स्थिति के बारे में पूछा और यह भी कि इन वर्षों के लिए वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित लेखाओं को कितनी जल्दी सदन के सभा पटल पर रखे जाने की उम्मीद है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में कहा कि:-

"वार्षिक रिपोर्ट 2019-20, जून 2022 तक प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है और वार्षिक रिपोर्ट 2020-21, सितंबर 2022 तक प्रस्तुत की जाएगी।"

17. तत्पश्चात, समिति ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को सदन में दस्तावेजों को समय से सभा पटल पर रखने के लिए प्रक्रिया में सुधार हेतु समिति के विचार के लिए कोई अन्य जानकारी/सुझाव प्रस्तुत करने के लिए कहा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

"जैसा कि ओएआईसी, भुवनेश्वर द्वारा सूचित किया गया है, लेखा कार्मिकों की भर्ती की तत्काल आवश्यकता है जिसके लिए ओडिशा सरकार के अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है।"

18. नतीजतन, 2012-2013 से 2020-2021 के लिए ओएआईसी की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में देरी के कारणों की विस्तार से जांच करने के लिए सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (लोक सभा) ने कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (एमओए एंड एफडब्ल्यू) और ओडिशा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएआईसी), भुवनेश्वर के प्रतिनिधियों से 07 फरवरी, 2022 को समिति के समक्ष उपस्थित होने और मौखिक साक्ष्य देने के लिए अनुरोध किया।

19. मौखिक साक्ष्य के दौरान (7.2.2022 को), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधि ने निम्नलिखित निवेदन किया:

"महोदय ओएआईसी के वित्तीय वार्षिक लेखाओं में विलंब हाल के वर्षों में लेखा कार्मिकों की बड़े पैमाने पर सेवानिवृत्ति के कारण हुआ था। संगठन को जॉब को आउटसोर्स करना पड़ा।"

जब समिति ने 2019-2020 और 2020-2021 के लिए अपेक्षित दस्तावेज सभा पटल पर रखने की तारीख के बारे में पूछा, तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय *ने कहा कि:*

> *".....सर, वर्ष 2019-20 का हम जून, 2022 तक फाइनलाइज़ कर देंगे और जो भी नेक्स्ट कमिंग सैशन होगा, उसमे ले कर देंगे।*
>
> *.....सर, वर्ष 2020-21 की एनुअल रिपोर्ट ये लोग तैयार ही कर रहे हैं।*
>
> *..... सर, हम विंटर सैशन में वर्ष 2020-21 का कर सकते हैं।"*

टिप्पणियां/सिफारिशें

20. समिति यह जानकर निराश है कि मंत्रालय द्वारा अपने लिखित उत्तर में ओएआईसी के सृजन/निगमन का वर्ष 1962 बताया गया है, जबकि ओएआईसी की आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी तिथि 17-12-1968 बताई गई है। इसलिए, समिति ओएआईसी, भुवनेश्वर के सृजन/निगमन के वर्ष में इस भिन्नता का कारण जानना चाहती है।

21. समिति पाती है कि वर्ष 2012-2013 के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीओए एंड एफडब्ल्यू), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (एमओए एंड एफडब्ल्यू) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन ओडिशा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएआईसी), भुवनेश्वर के अपेक्षित दस्तावेज 11 माह और 23 दिनों के विलंब से सभा पटल रखे गए थे; वर्ष 2013-2014 के लिए इन्हें 19 माह और 02 दिनों के विलंब से सभा पटल रखा गया था; वर्ष 2014-2015 के लिए दस्तावेज 24 माह और 02 दिनों के विलंब से सभा पटल रखे गए थे; वर्ष 2015-2016 के लिए इन्हें 24 माह और 08 दिनों के विलंब से सभा पटल रखा गया था; वर्ष 2016-17 के लिए दस्तावेज 25 माह और 04 दिनों के विलंब से सभा पटल रखे गए थे; वर्ष 2017-2018 के लिए इन्हें 26 माह और 23 दिनों के विलंब से सभा पटल रखा गया था; वर्ष 2018-2019 के लिए इन्हें 23 माह और 14 दिनों के विलंब से सभा पटल रखा गया था और 2019-2020 के लिए इन्हें 19 माह और 02 दिनों के विलंब से सभा पटल रखा गया था। समिति यह पाती है कि वर्ष 2011-2012 से ओएआईसी, भुवनेश्वर के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने के मामले में बार-बार विलंब करने की प्रवृत्ति है। इसके अलावा, वर्ष 2020-2021* के लिए ओएआईसी, भुवनेश्वर के अपेक्षित दस्तावेज वर्ष 2022 के मानसून सत्र के समापन तक सभा पटल पर नहीं रखे गए हैं।

** 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेख 13.12.2022 को लोकसभा के समक्ष रखे गए हैं।*

समिति का मानना है कि एमओए एंड एफडब्ल्यू अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन संगठनों के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखाओं को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के अपने वैधानिक दायित्व के प्रति गंभीरता से वचनबद्ध नहीं है। इसलिए, समिति एमओए एंड एफडब्ल्यू को वर्ष 2020-2021* के लिए ओएआईसी, भुवनेश्वर के लंबित अपेक्षित दस्तावेजों को जल्द से जल्द सभा पटल पर रखने की सिफारिश करती है, जैसा कि मौखिक साक्ष्य के दौरान आश्वासन दिया गया है, और यह भी सुनिश्चित करने के लिए की सिफारिश करती है कि वर्ष 2021-2022 से न केवल ओएआईसी, भुवनेश्वर, बल्कि इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी संगठनों के अपेक्षित दस्तावेज निर्धारित समय के भीतर सभा पटल रखे जाएं।

22. समिति को साक्ष्य के दौरान एमओए एंड एफडब्ल्यू द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-2016 से, ओएआईसी के वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप देने में देरी अन्य कारणों के अतिरिक्त, उन वर्षों में लेखा कर्मियों की बड़े पैमाने पर सेवानिवृत्ति के कारण हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप संगठन को चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों के माध्यम से इस काम को आउटसोर्स करना पड़ा था। हालांकि, समिति नोट करती है कि वर्ष 2015-2016 से पहले भी अपेक्षित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में विलंब हुआ था और समिति चाहती है कि इस संबंध में उसे सूचित किया जाए।

23. समिति नोट करती है कि मंत्रालय से प्राप्त उत्तर के अनुसार वित्त वर्ष 2020-2021 से बिक्री, खरीद, पैसों की रसीद आदि जैसे दैनिक लेखाओं का डिजिटलीकरण किया गया है। समिति यह जानकर आश्चर्यचकित है कि मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी युग में, ओएआईसी को अपनी स्थापना के बाद से, डिजिटलीकरण की ओर बढ़ने में चार दशक से अधिक का समय लगा। समिति यह जानना चाहती है कि मंत्रालय ने ओएआईसी को उसके प्रचालनों में सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों के उपयोग के बारे में संवेदी बनाने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया।

** 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेख 13.12.2022 को लोकसभा के समक्ष रखे गए हैं।*

24. एमओए एंड एफडब्ल्यू ने समिति को अवगत कराया है कि सभी राज्य कृषि उद्योग निगमों (एसएआईसी) को नियमित रूप से पत्र और अनुस्मारक भेजे गए थे और साथ ही इस विलंब को कम करने के लिए अपर सचिव और संयुक्त सचिव के स्तर पर बैठकें आयोजित की गई थीं। तथापि, समिति इस बात से असहमत है क्योंकि मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद ओएआईसी के अपेक्षित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में लगने वाले समय में कोई सुधार दिखाई नहीं दे रहा है। इसके विपरीत, प्रति वर्ष ओएआईसी के अपेक्षित दस्तावेजों को बार-बार और अधिक विलंब से सभा पटल रखा जा रहा है। समिति कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से सिफारिश करती है कि वह अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आने वाले सभी संगठनों के अपेक्षित दस्तावेजों को अंतिम रूप देने में शामिल प्रत्येक चरण को पूरा करने की लक्षित तिथि को दर्शाते हुए एक समय-सारणी तैयार करे और इसका कड़ाई से अनुपालन भी सुनिश्चित करे।

25. समिति ने एमओए एंड एफडब्ल्यू से गत दस वर्षों अर्थात वर्ष 2011-2012 से ओएआईसी के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप देने के संबंध में कालानुक्रम के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था। तथापि, समिति नोट करती है कि मंत्रालय वर्ष 2011-12 की सूचना नहीं दे सका। इस संबंध में, समिति मंत्रालय से सिफारिश करती है कि वह समिति के समक्ष वर्ष 2011-12 की सूचना भी प्रस्तुत करे और इसे प्रस्तुत न करने के कारण भी बताए।

नई दिल्ली

15 दिसंबर, 2022
24 अग्रहायण, 1944 (शक)

गिरीश चन्द्र
सभापति,
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति
लोक सभा

<u>परिशिष्ट - एक</u>

<u>प्रतिवेदन का पैरा 05 देखें</u>

ओडिशा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड (ओएआईसी), भुवनेश्वर के वर्ष 1997-1998 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की तिथियों को दर्शाने वाला विवरण।

वित्त-वर्ष	**वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखे जाने की अपेक्षित तिथि**	**वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की वास्तविक तिथि**	**विलंब की अवधि**
2012-2013	31.12.2013	23.12.2014	11 महीने और 23 दिन
2013-2014	31.12.2014	02.08.2016	19 महीने और 02 दिन
2014-2015	31.12.2015	02.01.2018	24 महीने और 02 दिन
2015-2016	31.12.2016	08.01.2019	24 महीने और 08 दिन
2016-2017	31.12.2017	04.02.2020	25 महीने और 04 दिन
2017-2018	31.12.2018	23.03.2021	26 महीने और 23 दिन
2018-2019	31.12.2019	14.12.2021	23 महीने और 14 दिन
2019-2020	31.12.2020	02.08.2022	19 महीने और 02 दिन
2020-2021	31.12.2021	अभी तक सभा पटल पर नहीं रखा गया*	--

** 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेख 13.12.2022 को लोकसभा के समक्ष रखे गए हैं।*

<u>अनुबंध-दो</u>

<u>प्रतिवेदन का पैरा 08 देखें</u>

ओडिशा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड (ओएआईसी), भुवनेश्वर के वर्ष 2011-2012 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने से संबंधित कालक्रमानुसार विवरण।

क्र. सं.	अंक	वर्ष									
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
एक	लेखापरीक्षा प्राधिकारियों से संपर्क की तारीख	संगठन ने लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए सीएजी से संपर्क नहीं किया है, लेकिन लेखा परीक्षा प्राधिकारियों द्वारा नियमित मामले के रूप में कार्य सौंपा है।									वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया
	लेखा वर्ष के समापन के बाद लगा समय										
दो	सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति की तिथि	*	22.10.2012	12.09.2013	27.08.2014	01.09.2017	01.09.2017	01.09.2017	16.10.2018	14.08.2019	
	लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए लेखा परीक्षा अधिकारियों से संपर्क करने के बाद लगा समय	सीएजी द्वारा उपर्युक्त सभी वित्त वर्षों के लिए एक नियमित मामले के रूप में नियुक्त किए गए लेखा परीक्षक। संगठन ने लेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए लेखा परीक्षा प्राधिकारियों से संपर्क नहीं किया है।									
तीन	वार्षिक लेखाओं के संकलन की तिथि	*	28.03.2014	30.05.2015	21.11.2016	31.10.2017	06.03.2019	30.10.2019	18.01.2021	27.12.2021	
	लेखा वर्ष के समापन के बाद लगा	*	1 वर्ष	1 वर्ष 2 महीने	1 वर्ष 8 महीने	1 वर्ष 7 महीने	2 वर्ष	1 वर्ष 7 महीने	1 वर्ष 9 महीने	1 वर्ष 9 महीने	

	समय									
चार	लेखापरीक्षकों को वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने की तिथि	*	21.05.2014	27.07.2015	10.02.2017	28.03.2018	29.03.2019	15.10.2020	18.04.2021	17.01.2022
	संबंधित लेखा वर्ष के समापन के बाद लगा समय	*	1 वर्ष 2 महीने	1 वर्ष 4 महीने	1 वर्ष 9 महीने	2 वर्ष	2 वर्ष	2 वर्ष 6 महीने	2 वर्ष	1 वर्ष 9 महीने
पांच	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा की तिथि और अवधि	*	1 महीना	1 महीना	1 महीना	1 महीना	1 महीना	1 महीना	1 महीना	1 महीना
छह	लेखापरीक्षा के दौरान/वार्षिक लेखाओं के पूरा करने के बाद लेखा परीक्षकों द्वारा उठाए गए प्रश्नों की तिथि	लेखा परीक्षा के दौरान उठाए गए और अनुपालन किए गए प्रश्न								
	लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान/ वार्षिक लेखाओं को पूरा करने के बाद लेखापरीक्षा प्राधिकारियों के समक्ष प्रश्न उठाने में लेखापरीक्षकों द्वारा लिया गया समय	लेखा परीक्षा के दौरान उठाया गया								

सात	जिस तिथि को लेखा परीक्षा प्रश्नों के उत्तर लेखा परीक्षकों को प्रस्तुत किए गए थे	*	एक सप्ताह के भीतर	एक सप्ताह के भीतर	एक सप्ताह के भीतर	एक या दो दिन के भीतर	एक सप्ताह के भीतर	एक सप्ताह के भीतर	एक सप्ताह के भीतर	एक सप्ताह के भीतर	
	क्वेरीज़ को हल करने में लिया गया समय	*	अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले	अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले	अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले	अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले	अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले	अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले	अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले	अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले	
आठ	जिस तिथि को लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा लेखा परीक्षा रिपोर्ट का प्रारूप जारी किया गया था		15.06.2014	27.09.2015	25.03.2017	20.04.2018	10.05.2019	03.11.2020	17.05.2021		
	वार्षिक लेखाओं की लेखा परीक्षा के बाद लिया गया समय	सांविधिक लेखा परीक्षक को सौंपे जाने की तिथि से एक महीने के भीतर									
नौ	जिस तिथि को संस्थान को अंतिम लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हुई	*	27.06.2014	23.11.2015	26.04.2017	25.06.2018	01.08.2019	07.12.2020	22.06.2021		
	प्रारूप प्रतिवेदन जारी होने के बाद लगने वाला समय	*	4 दिन	5 दिन	6 दिन	45 दिन	4 दिन	3 दिन	5 दिन		वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया
दस	वार्षिक लेखों को प्राप्त करने के बाद लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा संस्थान को अंतिम लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में लिया गया कुल समय	*	22 दिन	25 दिन	26 दिन	26 दिन	26 दिन	21 दिन	30 दिन		

ग्यारह	वार्षिक प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने की तिथि	*	15.09.2014	24.02.2016	28.06.2017	25.07.2018	21.10.2019	23.01.2021	28.07.2021		
	वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद लिया गया समय; और यह भी	*	1 वर्ष 6 महीने	1 वर्ष 10 महीने	2 वर्ष 3 महीने	2 वर्ष 4 महीने	2 वर्ष 6 महीने	2 वर्ष 9 महीने	2 वर्ष 3 महीने		
	अंतिम लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद लिया गया समय	*	2 महीने 12 दिन	3 महीने	2 महीने	1 महीने	1 महीना 20 दिन	1 महीना 15 दिन	1 महीना 6 दिन		
बारह	जिस तिथि को सक्षम प्राधिकारी द्वारा दस्तावेजों को अनुमोदित किया गया था	वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखा परीक्षित लेखाओं को संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा समय पर कार्रवाई की गई है।									
	वार्षिक प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने के बाद लिया गया समय										
	अंतिम लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद लिया गया समय										
तेरह	जिस तिथि को दस्तावेजों को अनुवाद और मुद्रण के लिए लिया गया था	*	30.09.2014	10.03.2016	15.07.2017	12.08.2018	05.11.2019	08.02.2021	15.08.2021		
	प्रत्येक चरण में कार्य को पूरा करने के लिए लिया गया समय	*	15 दिन	17 दिन	16 दिन	19 दिन	18 दिन	17 दिन	20 दिन		
चौदह	प्रत्येक स्तर पर कार्य पूरा होने के बाद सभा में रखे जाने के लिए	*	17.11.2014	03.05.2016	25.09.2017	10.10.2018	17.12.2019	23.02.2021	24.08.2021		

	मंत्रालय को दसतावेज भेजने की तारीख										
	मंत्रालय के दस्तावेजों को भेजने में संगठनों द्वारा लिया गया समय	*	1 महीने	45 दिन	37 दिन	2 महीने	41 दिन	1 महीने	27 दिन		
पन्द्रह	दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने की तारीख	*	23.12.2014	02.08.2016	02.01.2018	08.01.2019	04.02.2020	23.03.2021	14.12.2021		

वर्ष 2011-2012 के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कोई सूचना प्रदान नहीं की गई है।

<u>परिशिष्ट-तीन</u>

<u>सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022)</u>

समिति की छठी बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण

समिति की बैठक सोमवार, 07 फरवरी, 2022 को 14:30 बजे से 15:50 बजे तक समिति कक्ष "सी", संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

<u>उपस्थित</u>

श्री रितेश पाण्डेय - **सभापति**

<u>सदस्य</u>

2. श्री पल्लब लोचन दास
3. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
4. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
5. श्री टी. एन. प्रथापन

सचिवालय

1. श्रीमती सुमन अरोड़ा - संयुक्त सचिव
2. श्री सुन्दर प्रसाद दास - निदेशक
3. श्री उत्तम चंद भारद्वाज - अपर निदेशक

साक्षी

(एक) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग)

1. श्री अभिलक्ष लिखी - अपर सचिव
2. श्री प्रमोद कुमार मेहर्दा - संयुक्त सचिव
3. श्रीमती शोमिता बिश्वास - संयुक्त सचिव
4. श्री अभिजीत चक्रवर्ती - उप सचिव
5. श्रीमती गुरुप्रीत गढ़ोक - उप सचिव

(दो) X X X X X

(तीन) ओडिशा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएआईसी), भुवनेश्वर

1. श्री चितरंजन पत्रा - विशेष सचिव(ओएएस)
2. श्री रबीन्द्रनाथ नायक - उप महा प्रबंधक(ओएफएस)

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें कार्यसूची के बारे में बताया।

3-9. **X X X X X**

10. तत्पश्चात, समिति ने ओडिशा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन (ओएआईसी) लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2011-2012 से 2020-2021 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के मामले पर विचार किया, जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रण में भी है।

तत्पश्चात, ओएआईसी लिमिटेड, भुवनेश्वर के साक्षियों को अन्दर बुलाया गया।

11. सभापति ने समिति की बैठक में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि एंव किसान कल्याण विभाग) और ओएआईसी लिमिटेड, भुवनेश्वर के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और उन्हें बैठक की कार्यसूची से अवगत कराया। सभापति ने साक्षियों को कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश के निदेश 58 के प्रावधानों के बारे में भी बताया।

12. सभापति ने मंत्रालय द्वारा विभिन्न कारकों के संबंध में प्रस्तुत उत्तर की समिति द्वारा जांच के निष्कर्षों की ओर इंगित किया, जिसके कारण पिछले दस वर्षों, अर्थात 2010-2011 के बाद से ओएआईसी लिमिटेड, भुवनेश्वर के अपेक्षित दस्तावेजों को रखने में विलंब हुआ था। सभापति ने इन वर्षों के दौरान लेखाओं के संकलन में विलम्ब के कारणों के बारे में मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि मुख्य रूप से लेखा कर्मियों की बड़े पैमाने पर सेवानिवृत्ति के कारण विलंब हुआ था। तत्पश्चात, सभापति ने पूछा कि संगठन की लेखापरीक्षा कराने के लिए संगठन ने किन कारणों से नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के कार्यालय से संपर्क नहीं किया। तत्पश्चात, समिति ने मंत्रालय से ओएआईसी लिमिटेड के कामकाज की निगरानी में उसकी भूमिका के बारे में पूछा। मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि नियमित अंतराल पर बैठकें आयोजित की जाती थीं और इस संबंध में संगठनों को संप्रेषित किया गया था।

13. इसके बाद, सभापति ने मंत्रालय से पूछा कि 2019-2020 और 2020-2021 के अपेक्षित दस्तावेज संसद के समक्ष कब तक रखे जाएंगे। मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि 2019-2020 के लिए अपेक्षित दस्तावेज अगले सत्र के दौरान और 2020-2021 के दस्तावेज संसद के शीतकालीन सत्र में सभा पटल पर रखे जाएंगे।

14. सभापति ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग) और ओएआईसी लिमिटेड, भुवनेश्वर के प्रतिनिधियों को विषय की जांच के संबंध में उनके स्वतंत्र और निष्पक्ष विचारों के लिए धन्यवाद किया।

तत्पश्चात,साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

****

<u>परिशिष्ट-चार</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23) की 15.12.2022 को हुई पहली बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण

<u>सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-2023)</u>

समिति की बैठक गुरुवार, 15 दिसंबर 2022 को 15:00 बजे से 15:50 बजे तक समिति कक्ष '2', ब्लॉक-ए, संसद भवन एनेक्सी एक्सटेंशन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री गिरीश चन्द्र - **सभापति**

सदस्य

2. श्री पल्लब लोचन दास
3. चौधरी महबूब अली कैसर
4. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
5. श्री देवेन्द्रप्पा वाई.

सचिवालय

1. श्री विनय कुमार मोहन - संयुक्त सचिव
2. श्री नवल वर्मा - निदेशक
3. श्री उत्तम चंद भारद्वाज - अपर निदेशक

X X X X X

2. प्रारंभ में, माननीय सभापति ने समिति की पहली बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें कार्यसूची से अवगत कराया।

3. **x** **x** **x** **x** **x**

4. तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित तीन मूल प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार करने और उन्हें स्वीकार करने के लिए विचार किया :-

(i) **x** **x** **x** **x** **x**;

(ii) ओडिशा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, भुवनेश्वर की वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखा सभा पटल पर रखने में हुआ विलंब; और

(iii) **x** **x** **x** **x** **x** ।

उपरोक्त प्रतिवेदनों को समिति द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया और समिति द्वारा अध्यक्ष को इन तीन प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और इन्हें लोक सभा में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया।

5-8. **x** **x** **x** **x** **x**

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

****

XX विषय से असंबंधित साक्ष्य की कार्यवाही को अलग से रखा गया है।

गूगल ट्रांसलेट की मदद से हिंदी में अनुवादित